भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-440
बुधवार, 16 सितम्बर, 2020/25 भाद्रपद, 1942 (शक)

गंवाई जा चुकी नौकरियों का पुनर्सृजन

440# श्री पी. एल. पुनियाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों की नौकरी चली गई थी और लाखों लोगों के वेतन कम कर दे गए थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि इस अवधि के दौरान लाखों निजी और सरकारी नौकरियाँ समाप्त हो गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी संख्या सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या समाप्त हुई नौकरियों का पुनर्सृजन करने के लिए सरकार के पास कोई मुख्य योजना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं। देश कोविड-19 के खतरों एवं चुनौतियों का सामना करने हेतु बेहतर तरीके से तैयार है, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। भारत सरकार ने 20 लाख करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है आत्मनिर्भर भारत जो अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, व्यवस्थापूर्ण जनसांख्यिकीय एवं युवाओं हेतु रोजगार सृजित मांग पर आधारित है उसे भी आरंभ किया जा चुका है।

सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) प्रारंभ की है। उपायों का उद्देश्य निर्धन से निर्धनतम व्यक्तियों तक हाथों में भोजन एवं धन को रखना है ताकि उन्हें आवश्यक आपूर्ति के क्रय एवं मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

पीएमजीकेवाई के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान तीन माह के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत स्व-रोजगार को सुकर बनाया जा रहा है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना भी आरंभ की है।

*****